

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाडा (राज0)

पीठारीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-361/17 राजस्व वाद

1. श्रीमति लादी पुत्री चोथु कुमावत पति श्री खेमराम कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (चावण्डिया) तहसील करेडा हाज पडासोली, तहसील आसीद जिला भीलवाडा —वादी

बनाम

1. श्री बालु पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (चावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
  2. श्री अर्जुन पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (चावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
  3. श्री हेमराज पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (चावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
  4. सायरी पुत्री चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (चावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
  5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा —प्रतिवादीगण
- वाद पत्र बाबत अतर्गत धारा 53-188 राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

- 1- श्री सत्यनारायण सोमाणी - अधिवक्ता-वादी  
2- श्री ताराचन्द जैन - अधिवक्ता-प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक 25.06.2018

तहसीलदार करेडा से प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रकरण में बहस समाहित की गई। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्रामचावण्डिया पेटवार हल्का चावण्डिया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नवशे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(1) खातेदार का नाम- श्रीमति लादी पुत्री चोथु कुमावत सा0देह मजरा डांग का खेडा खातेदार रहन सा0मु0धि0 बैंक लि0 भीलवाडा शाखा माण्डल

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	798/1	0.12 बीघा	-	-
कुल किता	01	रकबा 0.12 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- बालु अर्जुन हेमराज पिता चोथु सायरी पुत्री चोथु कुमावत सा0देह मजरा डांग का खेडा खातेदार रहन सा0मु0धि0 बैंक लि0 भीलवाडा शाखा माण्डल

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	673/4	0.16 बीघा	-	-
2.	790	0.15 बीघा	-	-
3.	799/5	0.13 बीघा	-	-
कुल किता	03	रकबा 2.04 बीघा	-	-

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिक्तेन खर्चा अपना-अपना बहन करे।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रजनी माधीवाल)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर  
करेडा जिला भीलवाडा

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा (राज0)  
प्र0सं0 361/17 राजस्व वाद

## अनवान प्रकरण

1. श्रीमति लादी पुत्री चोथु कुमावत पत्नि श्री खेमराम कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (वावण्डिया) तहसील करेडा हाल पडासोली, तहसील आसीद जिला भीलवाडा —वादी

बनाम

1. श्री बालु पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (वावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. श्री अर्जुन पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (वावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. श्री हेमराज पुत्र चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (वावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. सायरी पुत्री चोथु कुमावत आयु वयस्क निवासी डांग का खेडा (वावण्डिया) तहसील करेडा जिला भीलवाडा.
5. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा —प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-188 रा0टि0ए0 1955 दिनांक - 25.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी गिनजानिय मुददई व श्री सत्यनारायण सोमाणी मनलाभिय मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिफ़्टी दी जाती है कि ग्राम-वावण्डिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा, तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं नक्शे में तरगीन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


(1) खातेदार का नाम- श्रीमति लादी पुत्री चोथु कुमावत सा0देह मजरा डांग का खेडा खातेदार रहन सा0भु0वि0 बैंक लि0 भीलवाडा शाखा माण्डल

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	फिरम	लगान
1	798/1	0.12 बीघा	-	-
कुल कित्ता	01	रकबा 0.12 बीघा	-	-

(2) खातेदार का नाम- बालु अर्जुन हेमराज पिता चोथु सायरी पुत्री चोथु कुमावत सा0देह मजरा डांग का खेडा खातेदार रहन सा0भु0वि0 बैंक लि0 भीलवाडा शाखा माण्डल

क्र.स.	आ0न0	रकबा(बीघा)	फिरम	लगान
1	673/4	0.16 बीघा	-	-
2.	790	0.15 बीघा	-	-
3.	799/5	0.13 बीघा	-	-
कुल कित्ता	03	रकबा 2.04 बीघा	-	-

आज तारीख 25.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
(रजनी माधीवाल)  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा